

RESEARCH EXTENSION CENTRE
Central Silk Board, Ministry of Textiles, Govt. of India
H.O.: Regional Sericultural Research Station, Salem
& Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore



Telephone: 04343-293744
E-mai: reckrish@gmail.com

Polupally
Billanakuppam PO
KRISHNAGIRI-635 115

No.CSB/REC/KGI/PPP-Vehicle hiring/2024-2025/

Date: 08.11.2024

To

महोदय/Sir,

विषय/ Sub: Inviting quotations for hiring vehicles CPP Mega Cluster Development Programme-reg.

With reference to the subject cited above, this office requires one vehicle [TATA SUMO/ ETIOS/ SWIFT/ SWIFT DESIRE or Similar capacity] for REC, Krishnagiri, Central Silk Board for Krishnagiri Mega Cluster Promotion Programme (CPP) activities in and around 120 km radius of Krishnagiri on monthly contract basis for a long term programme with the following terms and conditions from December, 2024 to March, 2025.

1. Hiring of vehicle is on Kilo Meter basis only.
2. Total number of days vehicle is required in a month will be 20 days
3. The monthly usage will be 3000 Km and 200 hours of duty. However, the number of Km may vary and payment will be based on the number of km used in that month.
4. If usage extends as specified above, will be charged on kilometer basis and if the usage exceeds 200 hours, the excess duration shall be paid on hourly basis.
5. The rate quoted shall be all inclusive including driver's bata, Toll fee, taxes etc.
6. The hired vehicle shall not be older than 5-8 years, should **have yellow board** and also in good running condition.
7. In case of break down, the vehicle shall be replaced in less than 24 hours at the cost of the service provider or will be adjusted on monthly rental of the vehicle

8. In case of break down, the vehicle shall be replaced in less than 24 hours at the cost of the service provider or will be adjusted on monthly rental of the vehicle.
9. The authority reserves the right to terminate the contract if the services are not satisfactory and hampers the official work.
10. The vehicle shall run from the head quarter of the cluster and movement of the vehicle restricted to only cluster area
11. The vehicle and driver should have valid documents such as Aadhaar card/PAN, Valid driving license, RC book, Emission test certificate, vehicle insurance etc.
12. The competent authority will finalize on hiring of vehicles.
13. Quotation should be sent by **Registered post/Speed post only**.
14. The vehicle provider should have PAN number registered under CGST and SGST. TDS (Tax Deduction at source) will be effected at the time of payment under the rule 194-C of TDS rate chart.
15. After issuing the vehicle approval for hiring, agreement to be made up to March 2025 with the vehicle provider to provide the vehicle for the agreement period. If discontinued to provide vehicle the penal charges to be framed against the vehicle provider @10%.
16. The undersigned reserves the right to reject in part or full any quotation which will not comply with the terms and conditions

If interested and accepted the above terms and conditions, you are advised to submit the quotation in sealed cover scribing "Quotation for hiring vehicle". The last date for receipt of the quotation by register post is up to 3.00 P.M. on 29.11.2024. The quotations received after the due will not be considered. The quotations received within the time and date as mentioned above will be opened 10.30 A.M. on 30.11.2024. The quotations should be sent to the address below by registered post/speed post only

**The Scientist-C
Research Extension Centre,
Central Silk Board, Govt. of India,
Polupally, Billanakuppam PO,
Krishnagiri- 635115**

भवदीय / Yours faithfully,


शानिक-सी / Scientist-C,
कृष्णगिरि / REC, KRISHNAGIRI

RESEARCH EXTENSION CENTRE
Central Silk Board, Ministry of Textiles, Govt. of India
H.O.: Regional Sericultural Research Station, Salem
& Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore

Telephone: 04343-293744
E-mai: reckrish@gmail.com



Polupally
Billanakuppam PO
KRISHNAGIRI-635 115

सं.सीएसबी/आरईसी/केजीआई/सीपीपी-वाहन किराये पर लेना/2024-2025/ दिनांक: 08.11.2024

विषय: सीपीपी मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए वाहन किराए पर लेने के लिए कोटेशन आमंत्रित करना-संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, इस कार्यालय को दिसंबर, 2024 से मार्च, 2025 तक निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ दीर्घकालिक कार्यक्रम के लिए मासिक अनुबंध के आधार पर कृष्णागिरि के 120 किलोमीटर के दायरे में कृष्णागिरि मेगा क्लस्टर प्रमोशन प्रोग्राम (सीपीपी) गतिविधियों के लिए आरईसी, कृष्णागिरि, केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए एक वाहन [टाटा सूमो//इटियोस/स्विफ्ट/स्विफ्ट डिज़ायर या समान क्षमता] की आवश्यकता है।

1. वाहन का किराया केवल किलोमीटर के आधार पर है।
2. एक महीने में वाहन की कुल आवश्यकता 20 दिन होगी
3. मासिक उपयोग 3000 किलोमीटर और 200 घंटे की इयूटी होगी। हालांकि, किलोमीटर की संख्या अलग-अलग हो सकती है और भुगतान उस महीने में उपयोग किए गए किलोमीटर की संख्या के आधार पर होगा।
4. यदि उपयोग ऊपर बताए अनुसार होता है, तो किलोमीटर के आधार पर शुल्क लिया जाएगा और यदि उपयोग 200 घंटे से अधिक है, तो अतिरिक्त अवधि का भुगतान प्रति घंटे के आधार पर किया जाएगा।
5. उद्धृत दर में ड्राइवर का बटुआ, टोल शुल्क, कर आदि सभी शामिल होंगे।
6. किराए पर लिया गया वाहन 5-8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, उस पर पीला बोर्ड लगा होना चाहिए और अच्छी स्थिति में भी होना चाहिए।
7. खराब होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता की लागत पर वाहन को 24 घंटे से कम समय में बदला जाएगा या वाहन के मासिक किराये पर समायोजित किया जाएगा।
8. खराब होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता की लागत पर वाहन को 24 घंटे से कम समय में बदला जाएगा या वाहन के मासिक किराये पर समायोजित किया जाएगा।

9. यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं और आधिकारिक कार्य में बाधा डालती हैं, तो प्राधिकरण अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 10. वाहन क्लस्टर के मुख्यालय से चलेगा तथा वाहन की आवाजाही केवल क्लस्टर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।

11. वाहन तथा चालक के पास वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/पैन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, उत्सर्जन परीक्षण प्रमाण पत्र, वाहन बीमा आदि होने चाहिए।

12. सक्षम प्राधिकारी वाहन किराए पर लेने पर अंतिम निर्णय लेंगे।

13. कोटेशन केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही भेजा जाना चाहिए।

14. वाहन प्रदाता के पास सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत पैन नंबर होना चाहिए। टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) टीडीएस दर चार्ट के नियम 194-सी के अंतर्गत भुगतान के समय प्रभावी होगी।

15. वाहन किराए पर लेने की स्वीकृति जारी करने के पश्चात, अनुबंध अवधि के लिए वाहन प्रदाता के साथ मार्च 2025 तक वाहन उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किया जाएगा। यदि वाहन उपलब्ध कराना बंद कर दिया जाता है तो वाहन प्रदाता के विरुद्ध 10% की दर से दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा।

16. नीचे हस्ताक्षरकर्ता किसी भी कोटेशन को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं करेगा

यदि आप इच्छुक हैं और उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कोटेशन को सीलबंद लिफाफे में जमा करें जिस पर "वाहन किराए पर लेने के लिए कोटेशन" लिखा हो। रजिस्टर पोस्ट द्वारा कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29.11.2024 को दोपहर 3.00 बजे तक है। नियत तिथि के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऊपर बताए गए समय और तिथि के भीतर प्राप्त कोटेशन 30.11.2024 को सुबह 10.30 बजे खोले जाएंगे। कोटेशन को नीचे दिए गए पते पर केवल रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।

वैज्ञानिक-सी
अनुसंधान विस्तार केंद्र,
रेशम सेंट्रल बोर्ड, भारत सरकार,
पोलुपल्ली, बिलनकुप्पम पी.ओ.,
कृष्णागिरी- 635115

भवदीय


वैज्ञानिक-सी / Scientist-C
व.कें., कृष्णागिरी / REC, KRISHNAPUR